



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर
108/11 आवास विकास कालोनी, बिजनौर -246701

सन्दर्भ सं० : 1575/D-1/जनरल-2015

दिनांक : 22-9-2015

सेवा में,


प्रभारी अधिकारी (शास्त्र)
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,
बिजनौर।

विषय-मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० 495/1 द्वितीय तल आरपीजी टावर, यूनिवर्सिटी रोड, मंगल पाण्डेनगर, मेरठ को Village Chandpur, Tehsil Chandpur District Bijnor, on Chandpur to Gajraula Road के खसरा रां०-2230एम में पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक-1555/बीस आयुध सहायक दिनांक-07.09.2015 जोकि इस कार्यालय में दिनांक-08.09.2015 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल की स्थलीय जाँच करायी गयी। निरीक्षण आख्या के अनुसार मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० 495/1 द्वितीय तल आरपीजी टावर, यूनिवर्सिटी रोड, मंगल पाण्डेनगर, मेरठ को Village Chandpur, Tehsil Chandpur District Bijnor, on Chandpur to Gajraula Road के खसरा सं०-2230एम में पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) के 1×16 कैं०एल० (एम०एस०) तथा 1×16 कैं०एल० (एच०एस०डी०) तथा 1×22 कैं०एल० (एच०एस०डी०) टैंकों के भण्डारण हेतु 03 नं० टैंकों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल के पूर्व दिशा में श्री रिजवान एवं श्री रिहान का खेत, पश्चिम दिशा में चांदपुर-धनौरा रोड, उत्तर दिशा में श्री बाबू छम्मी का खेत तथा दक्षिण दिशा में श्री नफीस का खेत स्थित है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त क्षमता के अन्डरग्राउण्ड टैंकों की स्थापना निम्नलिखित शर्तों के अधीन संस्तुति की जाती है :-

1. पेट्रोल पम्प द्वारा बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त की जाये।
2. प्रस्तावित 15 कैं०वी०ए का डी०जी सेट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं०-जी.एस.आर 371 (ई) दिनांक-17.05.02 व जी.एस.आर 448 (ई) दिनांक-12.07.04 के अनुसार एकाउस्टिक इन्क्लोजर तथा एग्जास्ट मफलर सहित स्थापित किया जाए।
3. इकाई पेट्रोलियम पदार्थों का भण्डारण एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के मार्गदर्शिका के अनुसार करना सुनिश्चित करेगा तथा सुरक्षा में अग्निशमन के रामस्त वांछित उपाय कराना सुनिश्चित करेगा।
4. आकस्मिक दुर्घटनाओं के बचाव हेतु आग साइट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर इसका अनुमोदन संबंधित विभाग से कराकर इस कार्यालय में तीन माह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय,

(ए०के०तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी